

अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

सदिभ/अवेध जमाबंदी रद्द अभिलेख नं० २१ / ३०२०-२१

बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच एवं कार्यवाई से संबंधित।

संबंधित।

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
--------	----------	-----------

23/3/19

झारखंड सरकार के ज्ञापक-2074/रा० दिनांक-13.05.2016

सहपठित-श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा० न० नि०-119/85/2308/रा० दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा० दिनांक 09.12.1998 में निहित निर्देश के अनुपालन में गैरमजकूत खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व उपनिरीक्षक (राजस्व कर्मचारी) के द्वारा प्रतिवेदित किया गया विवरणी निम्नवत है-

मौजा-कैलाशपुरा मौजा न०- 12 खाता न० 142

प्लॉट न० 3376 रकबा 5 कठ्ठा की भूमि जो गैरमजकूत खास, अनाबाद बिहार(झारखंड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-11 के जिल्द संख्या 20 के पृष्ठ संख्या 3779 पर जमाबंदी रैयत श्री विजय शं० सिंहल दिना. रामधारी अशुवाल के नाम से कायम है।

हल्का राजस्व उपनिरीक्षक(राजस्व कर्मचारी) के द्वारा जाचोपरात उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को सदिभ प्रतिवेदित किया गया है। जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी किना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवेध बंदोबस्ती के आधार पर/अवेध कोडकर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवेध लगान निर्धारण के आधार पर/ तादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है जिसका उद्देश्य निम्न नाम एवं जमा की शर्त कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवेध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना बाधनीय प्रतीत होता है।

अतः- उपरोक्त जांच प्रतिवेदन पर अंचल-निरिक्षक का मतवा प्राप्त करे।

अभिलेख दिनांक 9/4/19 को रखे।




धनबाद।

अभिलेख उपस्थापित। अंचल निरीक्षक से मंतव्य / प्रतिवेदन प्राप्त है।

अभिलेख दिनांक 23/4/19 को रखे।


9/4/19


अंचल अधिकारी
धनबाद।

23/4/19


अभिलेख उपस्थापित। अधोहस्ताक्षरी निर्वाचन कार्य में धारत रहने के कारण अभिलेख की सुनवाई नहीं हो सका।

अभिलेख दिनांक 21/5/19 को रखे।


अंचल अधिकारी
धनबाद।

15/6/20

अभिलेख उपस्थापित। अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन मंतव्य सहित प्राप्त। प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विपक्षी को नोटिस निर्गत करे। अभिलेख दिनांक 29/6/20 को रखे।



अंचल अधिकारी
धनबाद।


29/6/20

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख के अवलोकनोपरान्त पाया कि गौजा कोलाकुसमा मौजा नं० 12 खाता 142 प्लॉट नं० 3376 रकबा 5 कर्हा भूमि से संबंधित है। आवेदित भूमि गत सर्वे खतियान के अनुसार गैरआवाद खाते की भूमि है। जमाबंदी रैगल के खोज बीन के उपरान्त पता नहीं चल सका, जिसके कारण बिना नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है (सुलभ प्रसंग हेतु नोटिस की प्रति संलग्न)। आवेदित भूमि दाखिल खारिज केस नं० _____ (____) _____ के अनुसार कायम है। तत्कालीन अंचल अधिकारी, धनबाद द्वारा उक्त पंजी को सदेहास्पद माना गया है। जिसे संबंधित उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने उक्त जमाबंदी को रद्द हेतु प्रस्ताव प्रतिवेदन अनुशंसा सहित समर्पित किया

अतः जाँच प्रतिवेदन के आलोक में जमाबंदी रद्द हेतु अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहर्ता धनबाद को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।


अंचल अधिकारी,
धनबाद।


अंचल अधिकारी,
धनबाद।

अंचल अधिकारी का कार्यालय

वाद अभिलेख संख्या-_____/2016 (अन्तर्गत धारा-4(h), BLR Act, 1950)

सूचना

नाम- श्री विजय कुं सिंह
पिता- रामधारी अत्रवाल

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि बीजा-कोलाकुसा धाना नं०-12
खाता नं०-142 खेसरा नं०-3378 रकबा-5431 से संबंधित आपके नाम से
ह० नं०-2 के पंजी-11 भाग 20 के पृष्ठ 3779 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया
राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक-_____को समय-11:00 बजे पूर्वाह्न में उक्त
भूमि का रिटर्न-1, भूमि बंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी
रसीदों, फार्म M एवं सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व
रसीदों निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त
भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित
होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ
नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए
दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकीद जानें।

तिथि:-

मुहर

अंचल अधिकारी

स्थान:-

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

4188

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- श्री विजय कुमार सिंह
पिता- रामधारी काशकाल
दादा - - - -

2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :-

मौजा	धाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
कौलाकुलमा	12	142	3376	05 क०

3. जमाबंदी पंजी - II के जिल्द संख्या 27 पृष्ठ सं० 3779 पर कायम है-

4. जमाबंदी किस वर्ष से कायम है - 08-09

5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :- गैर आवाद

6. किस सक्षम प्रधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :- लगान धार्य / बन्दो बस्ती/ दा० खा० मु० सं०.....
1848 (1) 08-09 from Thakur - 1848

7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :- श्री 2418 4/21

8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिर्बाधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भूबंदोबस्ती -

9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न / बन्दोबस्ती पंजी/ लगान निर्धारण पंजी / भू - हस्तांतरण पंजी

10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष -

क्र० संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
1	432096	29.9.08	08-09
2	2878732	16.7.10	10-11